साधारण कृत्यकारक समिति के निर्वाचन के लिए निर्धारित समय अवधि तक निम्न चार पार्षदों ने अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं:-

1. श्री आलोक पठानिया
2. श्री सुरेन्द्र चौहान
3. श्रीमति सरोज ठाकुर
4. श्रीमति रजनी सिंह

अतः साधारण कृत्यकारक समिति के निर्वाचन हेतु उक्त उम्मीदवारों से प्राप्त नामांकन पत्र जांच हेतु प्रस्तुत है।

आयुक्त,

माननीय महापौर

नामांकन की जाँच की गई तथा ठीक पाए गए। आगामी कार्यवाही की जाए।

24/6/14

आयुक्त

अधीक्षक सामान्य

साधारण कृत्यकारक समिति के लिए उक्त 4 पार्षदों के नामांकन प्राप्त हुए तथा किसी भी पार्षद द्वारा निर्धारित समय अवधि तक नाम वापिस न लिया है।

अतः मामला आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

Worthy Commissioner

साधारण कृत्यकारक समिति के लिए चार सदस्यों के निर्वाचन हेतु दी गई समय अवधि तक केवल निम्न चार पार्षदों के ही नामाकंन पत्र प्राप्त हुए थे:

1. श्री आलोक पठानिया
2. श्री सुरेन्द्र चौहान
3. श्रीमति सरोज ठाकुर
4. श्रीमति रजनी सिंह

और जबकि निश्चित की गई समय अवधि तक किसी भी पार्षद ने अपना नाम वापिस नहीं लिया है,

अब मैं, टिकेन्द्र पंवर, उप-महापौर, सभापति नगर निगम शिमला, शिमला नगर निगम (प्रक्रिया और कार्य संचालन) विनियम, 1984 के विनियम 53(5) के अन्तर्गत मुझ में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए साधारण कृत्यकारक समिति के लिए निम्न चार पार्षदों को सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित धोषित करता हूँ:

1. श्री आलोक पठानिया
2. श्री सुरेन्द्र चौहान
3. श्रीमति सरोज ठाकुर
4. श्रीमति रजनी सिंह

उप-महापौर,
नगर निगम शिमला।

दिनांकः 28.6.2014

वित्त संविदा एवं योजना समिति के निर्वाचन के लिए निर्धारित समय अवधि तक निम्न चार पार्षदों ने अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं:-

1. श्री दीपक रोहाल
2. श्री शशि शेखर
3. श्री अनूप वैद
4. श्रीमति कान्ता सुयाल

अतः वित्त संविदा एवं योजना समिति के निर्वाचन हेतु उक्त उम्मीदवारों से प्राप्त नामांकन पत्र जांच हेतु प्रस्तुत है।

आयुक्त,

माननीय महापौर

नामांकन की जाँच की गई तथा सही पाए गए। आगामी कार्यवाही की जाए।

आयुक्त

24/6/15

अधीक्षक सामान्य

वित्त संविदा एवं योजना समिति के लिए उक्त 4 पार्षदों के नामांकन प्राप्त हुए तथा किसी भी पार्षद द्वारा निर्धारित समय अवधि तक नाम वापिस न लिया है।

अतः मामला आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

Worthy Comm.

निर्धारित समय अवधि तक उपरोक्त प्रत्याशियों में से किसी ने भी अपना नाम वापिस नहीं लिया। अतः वित्त संविदा एवं योजना समिति के लिए निम्न सदस्यों की निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने हेतु प्रस्तुत है।

1. श्री दीपक रोहाल
2. श्री शशि शेखर
3. श्री अनूप वैद
4. श्रीमति कान्ता सुयाल

आयुक्त,

माननीय महापौर

वित्त संविदा और योजना समिति के लिए चार सदस्यों के निर्वाचन हेतु दी गई समय अवधि तक केवल निम्न चार पार्षदों के ही नामाकंन पत्र प्राप्त हुए थे:

1. श्री दीपक रोहाल
2. श्री शशि शेखर
3. श्री अनूप वैद
4. श्रीमति कान्ता सुयाल

और जबकि निश्चित की गई समय अवधि तक किसी भी पार्षद ने अपना नाम वापिस नहीं लिया है,

अब मैं, टिकेन्द्र पंवर, उप-महापौर, सभापति नगर निगम शिमला, शिमला नगर निगम (प्रक्रिया और कार्य संचालन) विनियम, 1984 के विनियम 53(5) के अन्तर्गत मुझ में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त संविदा और योजना समिति के लिए निम्न चार पार्षदों को सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूँ:-

1. श्री दीपक रोहाल
2. श्री शशि शेखर
3. श्री अनूप वैद
4. श्रीमति कान्ता सुयाल

उप-महापौर,
नगर निगम शिमला।

दिनांक: 28.6.2014

सामाजिक न्याय समिति के निर्वाचन के लिए निर्धारित समय अवधि तक निम्न चार पार्षदों ने अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं:-

1. श्री प्रवीन कुमार
2. श्रीमति सुषमा कुठियाला
3. श्रीमति निर्मला चौहान
4. श्रीमति लक्ष्मी कश्यप

अतः सामाजिक न्याय समिति के निर्वाचन हेतु उक्त उम्मीदवारों से प्राप्त नामांकन पत्र जांच हेतु प्रस्तुत है।

आयुक्त,

माननीय महापौर

नामांकन की जाँच की गई तथा ठीक पाए गए। आगामी कार्यवाही की जाए।

24/5/16

आयुक्त

अधीक्षक सामान्य

सामाजिक न्याय समिति के लिए उक्त 4 पार्षदों के नामांकन प्राप्त हुए तथा किसी भी पार्षद द्वारा निर्धारित समय अवधि तक नाम वापिस न लिया है।

अतः मामला आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

A/C Worthy Commissioner

निर्धारित समय अवधि तक उपरोक्त प्रत्याशियों में से किसी ने भी अपना नाम वापिस नहीं लिया। अतः सामाजिक न्याय समिति के लिए निम्न सदस्यों की निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने हेतु प्रस्तुत है।

1. श्री प्रवीन कुमार
2. श्रीमति सुषमा कुठियाला
3. श्रीमति निर्मला चौहान
4. श्रीमति लक्ष्मी कश्यप

आयुक्त,

माननीय महापौर

सामाजिक न्याय समिति के लिए चार सदस्यों के निर्वाचन हेतु दी गई समय अवधि तक केवल निम्न चार पार्षदों के ही नामाकंन पत्र प्राप्त हुए थे:

1. श्री प्रवीन कुमार
2. श्रीमति सुषमा कुठियाला
3. श्रीमति निर्मला चौहान
4. श्रीमति लक्ष्मी कश्यप

और जबकि निश्चित की गई समय अवधि तक किसी भी पार्षद ने अपना नाम वापिस नहीं लिया है,

अब मैं, टिकेन्द्र पंवर, उप महापौर, सभापति नगर निगम शिमला, शिमला नगर निगम (प्रक्रिया और कार्य संचालन) विनियम, 1984 के विनियम 53(5) के अन्तर्गत मुझ में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामाजिक न्याय समिति के लिए निम्न चार पार्षदों को सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूँ:-

1. श्री प्रवीन कुमार
2. श्रीमति सुषमा कुठियाला
3. श्रीमति निर्मला चौहान
4. श्रीमति लक्ष्मी कश्यप

उप-महापौर,
नगर निगम शिमला।

दिनांक: 28.6.2014

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 94(5) के अन्तर्गत गठित समिति के निर्वाचन के लिए निर्धारित समय अवधि तक निम्न पार्षदों ने अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं:-

1. श्री मनोज कुठियाला
2. श्री सुशान्त कपरेट

अतः हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 94(5) के अन्तर्गत गठित समिति के निर्वाचन हेतु उक्त उम्मीदवारों से प्राप्त नामांकन पत्र जांच हेतु प्रस्तुत है।

आयुक्त,

माननीय महापौर नामांकन की जांच की गई तथा ठीक पाए गए। आगामी कार्यवाही की जाए।

आयुक्त

अधीक्षक/सामान्य

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 94(5) के अन्तर्गत गठित समिति के लिए उक्त 2 पार्षदों के नामांकन प्राप्त हुए तथा किसी भी पार्षद द्वारा निर्धारित समय अवधि तक नाम वापिस न लिया है।

अतः मामला आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

Worthy Commission

निर्धारित समय अवधि तक उपरोक्त प्रत्याशियों में से किसी ने भी अपना नाम वापिस नहीं लिया। अतः हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 94(5) के अन्तर्गत गठित समिति के लिए निम्न सदस्यों की निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने हेतु प्रस्तुत है।

1. श्री मनोज कुठियाला
2. श्री सुशान्त कपरेट

आयुक्त,

माननीय महापौर

हि0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 94(5) के अन्तर्गत गठित समिति के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु दी गई समय अवधि तक केवल निम्न दो पार्षदों के ही नामाकंन पत्र प्राप्त हुए थेः-

1. श्री मनोज कुठियाला
2. श्री सुशान्त कपरेट

और जबकि निश्चित की गई समय अवधि तक किसी भी पार्षद ने अपना नाम वापिस नहीं लिया है।

अब मैं, टिकेन्द्र पंवर, उप-महापौर, सभापति नगर निगम शिमला, शिमला नगर निगम (प्रक्रिया और कार्य संचालन) विनियम, 1984 के विनियम 53(5) के अन्तर्गत मुझ में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हि0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 94(5) के अन्तर्गत गठित समिति के लिए निम्न दो पार्षदों को सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूँः

1. श्री मनोज कुठियाला
2. श्री सुशान्त कपरेट

उप-महापौर,
नगर निगम शिमला।

दिनांकः 28.6.2014

नगर निगम शिमला

नगर निगम शिमला की साधारण बैठक दिनांक 27.11.2012 में प्रस्ताव संख्या 4(1)39 द्वारा सबलैटिंग के मामलों की समीक्षा हेतू माननीय महापौर,नगर निगम शिमला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति निम्न प्रकार है:-

गठित समिति के सदस्यः-

1. श्री शशी शेखर, मा0 पार्षद।
2. श्री अनूप वैद , मा0 पार्षद।
3. सहायक आयुक्त, नगर निगम शिमला।
4. अधिशासी अभियन्ता, मार्ग एवं भवन विभाग।
5. लेखा अधिकारी, नगर निगम शिमला।

समिति की दिनांक 21.1.2013 ,8.2.2013 व 13.3.2013 को बैठके हुई । समिति द्वारा सबलैटिंग के मामलो से सम्बधित पर व्यापक विचार विर्मश किया गया और निर्णय लिया गया कि निगम की आय में बढ़ौतरी करने व निगम द्वारा आवंटित की गई व्यवसायिक सम्पति अर्थात दुकानें/स्टालों में वर्तमान में जो कब्जाधारी है उनके नाम सबलैंटिग नीतिके अर्न्तगत नियमितिकरण एक मुश्त करके किया जाना उचित होगा।

नगर निगम द्वारा वार्षिक लीज/किराया आधार पर आंवटित की गई दुकानों/स्टालों में लगभग 100 मामले सबलैंटिग से सम्बन्धित हो सकते है। इनके नियमितिकरण करने हेतु समिति द्वारा निम्न अनुसार दरे निर्धारित करने बारे निर्णय लिया गया है।

क्र0 स0	स्थान	नियमितिकरण प्रभार राशि प्रति वर्गफुट (एक मुश्त)	मासिक लीज / किराया राशि प्रति वर्गफुट
1.	माल रोड, रिज पर स्थित दुकानों के लिए	रू0 6000/-	रू0 150/-
2.	लक्कड बाजार, लोअर बाजार, राम बाजार, सब्जी मण्डी, अनाज मण्डी, रिवोली व पुराना बस स्टैण्ड इत्यादि के लिए	रू0 3000/-	रू0 70/-
3.	अन्य स्थानों के लिए	रू0 2500/-	रू0 50/-
4.	लोअर बाजार में बारबर सीटों के लिए	रू0 5000/ प्रति सीट	रू0 500/- मासिक प्रति सीट

ANUP VAID

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सबलैट हुई दुकानों /स्टालों में वर्तमान कब्जाधारी द्वारा पट्टाधारक से लिया गया अनापति शपथ पत्र नगर निगम को प्रस्तुत करना होगा। जिन कब्जाधारियों के पास पूर्व पट्टाधारक का अनापति प्रमाण पत्र यदि नहीं है तो ऐसे कब्जा धारी द्वारा दुकान का अपने नाम नियमितिकरण करने से पूर्व उप-मण्डलाधिकारी से एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसका निगम की सम्पति में कब्जा है और यदि किसी भी प्रकार का भविष्य में विवाद उत्तपन्न होता है या पूर्व पट्टाधारका द्वारा दुकान/स्टाल के नियमितिकरण के सम्बन्ध में ऐतराज किया जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेवारी स्वयं कब्जाधारी की होगी। नियमितिकरण की जाने वाली दुकान/स्टाल में यदि अवैध निर्माण/ अतिकमण पाया जाता है तो इस नीति के अर्न्तगत मान्य नहीं होगा तथा यदि कोई पिछली बकाया राशि देय है तो उसका भुगतान प्रार्थी को एक मुश्त अग्रिम रूप में करना होगा।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि निगम की दुकानों/स्टालों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की सम्पति जैसे गाय शैड, धोबी क्वाटर, धोडा सराये व गोदाम निगम द्वारा लीज पर आंबटित है उनका नियमितिकरण भी सबलैटिंग नीति के अर्न्तगत नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नीलामी द्वारा दी गई दुकान/ स्टाल का यदि नियमितिकरण किया जाना है, तो वर्तमान में उसकी लीज/ किराया राशि उक्त निर्धारित दर से अधिक पाई जाती हैं तो इस प्रकार की सम्पति में किराया राशि में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा केवल निर्धारित की गई प्रभार राशि वसूल की जाएगी। **NGO's** को आंबटित की गई सम्पति का नियमितिकरण इस नीति के अर्न्तगत नहीं किया जाएगा।

खुन के रिश्ते से सम्बन्धित मामले में भी चर्चा की गई कि जिन पट्टाधारको का देहान्त हो जाता है और सम्पति उनके कानूनी वारिसों के नाम की जाती है ऐसे मामलों में वर्तमान में जो किराया निर्धारित है उसका चार गुणा वसूल करने का प्रावधान है जो कि कई मामलों में वहुत अधिक है और पट्टाधारक किराये का भुगतान करने में असमर्थ हैं । इस बारे भी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस मामले को भी सदन सम्मुख पुनः विचारार्थ रखा जाए।

अतः इस नीति को लागू करने हेतु व्यापक प्रचार करने के लिए सार्वजनिक सूचना के लिए लगभग 2000 पम्फलैट छपवाकर आंबटित दुकानों में बांटने के लिए भी सिफारिश की जाती है ताकि व्यवसायि इस नीति का लाभ उठा सके जिसके लिए सार्वजनिक सूचना जारी होने की तिथि से 45 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है। यदि इस अवधि में कोई व्यवसायि नियमितिकरण करने हेतु आवेदन नहीं करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है ।

संजय चौहान
महापौर

शशी शेखर,
पार्षद

अनूप वैद,
पार्षद

सहायक आयुक्त,
नगर निमम,शिमला

अधीशासी अभियन्ता,
मार्ग एवं भवन विभाग

लेखा अधिकारी,
नगर निगम, शिमला

मुख्य कार्यालय पत्र संख्या–22-बी

शिमला नगर निगम

नगर निगम प्रस्ताव नं0......3 (10)..........................साधारण बैठक नं0...12(?)...........

तिथि. 29-3-2013..............की प्रतिलिपि ।

नगर निगम की साधारण बैठक के विचारार्थ ज्ञापनः

विभाग का नाम — सम्पदा शाखा

विभागाध्यक्ष — सहायक आयुक्त

3 (10) **निगम प्रस्ताव संख्या 4(1) 39 साधारण बैठक 8 वीं दिनांक 27.11.2012 द्वारा सबलैटिंग के मामलों की समीक्षा हेतु गठित समिति की रिपोर्ट ।**

नगर निगम द्वारा प्रस्ताव संख्या 4(1) 39 साधारण बैठक 8 वीं दिनांक 27.11.2012 द्वारा नगर निगम द्वारा आंबटित सबलैंट की गई दुकानों /स्टालों के नियमितिकरण व दरों की समीक्षा हेतुं माननीय महापौर नगर निगम शिमला की अध्यक्षता में एक समिति का गठ्न किया गया था। समिति द्वारा अपनी रिर्पोट प्रस्तुत कर दी गई है जो माननीय सदन सम्मुख बिचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। समिति की रिर्पोट अनुबन्ध 'क" पर सन्लग्न है।

आयुक्त

सहायक आयुक्त

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि अनुबन्ध "क" के क्रम संख्या 2 पर मासिक लीज/किराया राशि रू0 55/- प्रति वर्गफुट लिया जाए और विभागीय प्रस्तावना को अनुमोदित किया गया।

अधी० सम्पदा

Assistant Commissioner,
Municipal Corporation
Simla